No. A-11016/1/2017-CLS-II Government of India Ministry of Labour & Employment

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001 Dated the

To,

The Registrar General All High Courts,

Sub: Filling up the post of Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bangalore -regarding.

Sir,

I am directed to say that the post of Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court (CGIT-cum-LC) at Bangalore is to be filled up shortly in terms of provisions of The Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience, and other Conditions of Service of Members) Rules, 2017. A copy of Notification of the said rules i.e. No. G.S.R. 514 (E), dated 01.06.2017 is enclosed as **Annexure-I**.

- 2. According to these provisions, a person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer, unless he/she-
 - (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or
 - (b) he has, for a period of not less than three-years, been a District Judge or an Additional District Judge; or
 - (c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, management, industry, public affairs, administration, labour relations, industrial disputes or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Industrial Tribunal.
- 3. The terms and conditions of presiding officers so appointed will be as per Rules indicated under para 1 above.

- 4. It is requested that a panel of names of applicants who are willing to be appointed as Presiding Officer of CGIT-cum-LC at Bangalore and fulfill the eligibility conditions as per Notification No. G.S.R. 514 (E), dated 01.06.2017, may please be sent to this Ministry within a period of one month from the date of issue of this letter.
- 5. A set of three (03) proformae (**Annexure-II**, **III** & **IV**) are to be appended with <u>each</u> application. A check-list (copy placed at **Annexure-II** regarding the documents/copies enclosed may be sent with <u>each</u> application. The Bio-Data of <u>each</u> of the officers may be furnished in the proforma placed at **Annexure-III** to be filled in by the concerned officer and <u>attested by the concerned Registrar General.</u> The nomination of <u>each</u> of the officers may be forwarded along with an abstract of ACRs (if applicable to the officer) of the last five years duly certified in the proforma placed at **Annexure-IV**, along with the ACR dossiers and vigilance clearance (if applicable to the officer).
- 6. It is requested that a panel of names of judicial officers who fulfill the requirements, as mentioned above and are willing to take up the assignment on terms and conditions mentioned in the enclosed Rules (Annexure-I) may please be furnished to this Ministry along with the proformae (Annexure-II, III & IV).
- 7. Nominations with complete proformae and verified copies of ACR dossiers (if applicable) will only be entertained by the Ministry.
- 8. That this Circular may be given wide publicity so that sufficiently large number of candidates apply for the post.

Yours faithfully,

(Ajay Malik)

Under Secretary to the Government of India

Copy to:

- Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi with the request that a panel of names of Judicial Officers (retired or serving) who are willing to be appointed to the post of the Presiding Officer of the CGIT-cum-LC, Bangalore may kindly be forwarded to this Ministry.
- All Dy. Chief Labour Commissioners (C) with the request to take up the matter with the Registrars of the High Courts concerned for wide publicity of the circular.

Encl: Annexure-I, II, III & IV.

(Ajay Malik)

Under Secretary to the Government of India





STATISTIZE

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 442| No. 442| नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 2017/ ज्येष्ठ 11, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2017/ JYAISTHA 11, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2017

सा.का.नि. 514(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) नियम, 2017 है।
- (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, सदस्य को लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिण्ट अधिनियम अभिष्रेत हैं :
 - (ख) "लेखा सदस्य", "प्रशासनिक सदस्य", "न्यायिक सदस्य", "विशेषज्ञ सदस्य", "विधि सदस्य", "राजस्व सदस्य" या "तकनीकी सदस्य" से, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अधिनियम के तत्स्थानी उपवंधों के अधीन नियुक्त लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है:
 - (ग) "अपील अधिकरण", "प्राधिकरण" या "अधिकरण" का वही अर्थ है, जो उनका अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों में है ;

- (घ) "अध्यक्ष" मे अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ङ) "सदस्य" से लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, प्रतिभूति अपील अधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या उपाध्यक्ष है;
- (च) "पीठासीन अधिकारी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15ठ के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी और केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;
- (छ) "खोजबीन-सह-चयन समिति" से नियम 4 में निर्दिष्ट खोजबीन-सह-चयन समिति अभिप्रेत है ;
- (ज) "उपाध्यक्ष" से, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (झ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनका संबंधित अधिनियमों में है।
- 3. सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं वह होगी, जो इन नियमों से उपायद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित.—(1) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के संबंध में उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट खोजवीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।
- (2) उस मंत्रालय/विभाग, जिसके अधीन यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण का गठन किया जाता है या स्थापित किया जाता है, का सचिव, भारत सरकार खोजवीन-सह-चयन समिति का संयोजक होगा।
- (3) खोजबीन-सह-चयन समिति अपनी सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी।
- (4) अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी कि खोजवीन-सह-चयन समिति या चयन समिति में कोई रिक्ति या अनुपस्थिति है।
- (5) इस नियम की कोई बात, यथास्थिति, अपील अधिकरण, अधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व उस रूप में कार्य कर रहा है, को लागू नहीं होगी।
- 5. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.—िकसी व्यक्ति को, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा दृष्ट्या योग्य घोषित न कर दिया जाए, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- 6. <mark>किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र.—</mark>कोई सदस्य, केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परंतु सदस्य जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा उसे पहले पद छोड़ने की अनुज्ञा न प्रदान की जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या जब तक कि उसके उत्तरवर्ती की उस पद पर सम्यकत: नियुक्ति न कर दी जाए या उसकी पदावधि की समाप्ति, इनमें जो भी पूर्वत्तर हो, अपने पद पर बना रहेगा। 7. **सदस्य को पद से हटाना.**—केंद्रीय सरकार, इस निमित्त उसके द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है;
- (ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वल्लित है;
- (ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है;
- (घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है
 - (ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है:

परंतु जहां किसी सदस्य को खंड (ख) से खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित है तो वहां सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा :

परंतु यह और कि राष्ट्रीय कंपनी अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से पद से हटाया जाएगा।

- 8. सदस्य के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच की प्रक्रिया.—(1) यदि केंद्रीय सरकार को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के संबंध में दुर्व्यवहार या पद के कृत्यों का पालन करने में अक्षमता के स्पष्ट आरोप का अभिकथन करने की कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो भारत सरकार का मंत्रालय या विभाग जिसके अधीन यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण गठित किया गया है या स्थापित किया गया है ऐसी शिकायत की प्रारंभिक संबीक्षा करेगा।
- (2) यदि प्रारंभिक संवीक्षा पर, भारत सरकार का मंत्रालय या विभाग, जिसके अधीन यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण गठित किया गया है या स्थापित किया गया है, की यह राय है कि किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा मदस्य, प्रशासिनक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के किसी दुर्व्यवहार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है तो वह जांच संचालित करने के लिए नियम 7 के अधीन गठित सिमिति को निर्देश करेगी।
- (3) समिति उतने समय या उतने और समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिप्ट किया जाए, जांच पूरी करेगी।
- (4) जांच के पूरा होने के पश्चात् समिति केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें वह अपने निष्कर्षों और पृथक् रूप से आरोपों में से प्रत्येक आरोप पर उन के लिए कारणों का और संपूर्ण मामले पर अपने प्रक्षेपणों, जो वह ठीक समझे, का कथन करेगी।
- (5) समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगी किंतु वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी और उसे अपनी प्रक्रिया को विनयिमित करने की शक्ति होगी, जिसके अंतर्गत अपनी जांच के लिए तारीख, स्थान और समय नियत करना भी है।
- 9. सदस्य की पदावधि.—इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिष्ट अविध के लिए पद धारण करेगा और उस तारीख से, जिसको वह पद धारण करता है से उक्त अनुसूची के स्तंभ (6) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी आयु तक पद धारण करेगा तथा पुन: नियुक्ति का पात्र होगा।
- 10. आकस्मिक रिक्ति.—(1) (क) यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रतिभूति अपील अधिकरण के अध्यक्ष की आकस्मिक रिक्ति की दशा में केंद्रीय सरकार को ज्येष्ठतम उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने की या उसकी अनुपस्थिति में, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के किसी एक लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य को अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के रूप में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी।
- (ख) केंद्रीय सरकार को किसी अन्य ऋण वसूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त करने की शिक्त होगी और ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर आकस्मिक रिक्ति की दशा में ऋण वसूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष को किसी अन्य ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को स्थानापन्न पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की शिक्त होगी।

- 11. वेतन और भत्ते.—(1) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, या प्रतिभृति अपील अधिकरण को 2,50,000/- रुपए (नियत) और केंद्रीय सरकार के समान वेतन वाला पदधारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य भत्ते और फायदों का संदाय किया जाएगा।
- (2) यथास्थिति, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य को 2,25,000/- रुपए के वेतन का संदाय किया जाएगा और वह भारत सरकार के समान वेतन वाला पदधारण करने वाले समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (3) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को 1,44,200-2,18,200/- रुपए के वेतन का संदाय किया जाएगा और वह भारत सरकार के समान वेतन वाला पदधारण करने वाले समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (4) यथास्थिति, किसी व्यक्ति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर, जो किसी पेंशन को प्राप्त करता है तो ऐसे व्यक्ति के वेतन को उसके द्वारा अर्हित पेंशन की सकल रकम से कम कर दिया जाएगा।
- 12. पेंशन, उपदान और भविष्य निधि.—(1) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी अधिकरण के सेवारत न्यायिक सदस्य या भारतीय विधिक सेवा के सदस्य या किसी संगठित सेवा के सदस्य की दशा में, जिसकी नियुक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के रूप में की जाती है तो, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में की गई सेवा को उस सेवा के नियमों के अनुसार, जिससे वह संबंध रखता है, पेंशन के लिए गणना में लिया जाएगा और वह साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 और अभिदायी पेंशन प्रणाली के उपवंधों द्वारा प्रशासित होगा।
- (2) सभी अन्य मामलों में लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 और अभिदायी पेंशन प्रणाली के उपवंधों द्वारा प्रशासित होगा ।
- (3) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुजेय नहीं होगा ।
- 13. छुट्टी.—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी का हकदार होगा।
- (2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य को किसी कलैंडर वर्ष में आठ दिन से अनधिक आकस्मिक छुट्टी अनुदत्त की जाएगी।
- (3) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा प्रशासित होगा ।
- (4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अधिकतम छुट्टी नकदीकरण, जिसके अंतर्गत पूर्व मेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त रकम भी है, उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी के नकदीकरण का हकदार होगा कि उसके द्वारा प्राप्त रकम केंद्रीय मिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विहित सीमा से अधिक नहीं होगा।
- 14. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी.—(1) निम्नलिखित के लिए,-
- (क) किसी उपाध्यक्ष, ऋण बसूली अधिकरण और औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के लिए, यथास्थिति, छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी अध्यक्ष होगा प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी और प्रतिभूति अपील अधिकरण का होगा; और लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य या सदस्य की दशा में अध्यक्ष, प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में केंद्रीय सरकार भी मंजूरी प्राधिकारी होगी।
- (ख) अध्यक्ष, प्रतिभृति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में अध्यक्ष, प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष के लिए केन्द्रीय सरकार होगी जो लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, के लिए मंजूर करने वाला प्राधिकरण भी होगा।

- (2) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य के लिए विदेशी यात्रा हेतु मंजूर करने वाला प्राधिकरण होगा।
- 15. गृह किराया भत्ता.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य उसी दर पर गृह किराया भत्ते के हकदार होंगे, जो तत्स्थानी प्रास्थिति के भारत सरकार के समूह 'क' अधिकारी को अनुजेय है।
- 16. परिवहन भत्ता.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी, सदस्य भारत सरकार की तत्स्थानी प्रास्थिति के समूह 'क' अधिकारी को यथाअनुज्ञेय सुविधाओं के अनुसार स्टाफ कार नियम के उपवंधों के अनुसार शासकीय और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए स्टॉफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।
- 17. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य अपना पद धारण करने से पूर्व अपनी आस्तयों और अपने उत्तरदायित्वों तथा वित्तीय और अन्य हितों का प्रकटन करेगा।
- 18. सेवा की अन्य शर्तें.—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य या तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो भारत सरकार के तत्स्थानी प्रास्थिति के समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।
- (2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य किसी अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष, यथास्थिति, उस अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण से सेवानिवृत्ति के पश्चात व्यवसाय नहीं करेंगे।
- (3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में इन क्षमताओं में कार्य करते हुए कोई माध्यस्थम् कार्य हाथ में नहीं लेंगे ।
- (4) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करना समाप्त करते हैं, से दो वर्ष की अविध के लिए कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति, जो यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में पक्षकार था, के प्रवंधन या प्रशासन से संबद्ध नहीं होगा:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानूनी निकाय या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रादेशिक अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कानूनी प्राधिकरण या निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड 45 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन को लागू नहीं होगी।

- 19. पद और गोपनीयता की शपथ.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपना पद धारण करने से पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा तथा हस्ताक्षर करेगा।
- 20. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 21. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत होता है तो उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।
- 22. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई वात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

प्ररूप 1

(नियम 19 देखिए)

मैं अमुक (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर

ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यिनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत:करण से (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना निर्वहन करूंगा और मैं संविधान और देश की विधियों की मर्यादा को बनाए रखूंगा।

[अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्य सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम)]

प्ररूप 2 (नियम 19 देखिए)

......(अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं......अमुक (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/सदस्य की रूप में नियुक्त किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय, विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबिक या मुझे (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबिक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संसूचित नहीं करुंगा या प्रकट नहीं करूंगा।

[अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम)]

अनूसुची

क्रम सं.	अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का नाम	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियक्ति के लिए अर्हता	खोजबीन-सह-चयन समिति की संरचना	पदावधि	पदधारण करने के लिए अधिकतम आयु (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण	कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा,— (क) यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, या नहीं रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित नहीं है; या (ख) वह तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला	पीठासीन अधिकारी के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति: (i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला व्यक्ति – अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य (iii) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट	तीन वर्ष	पीठासीन अधिकारी – पैंसठ वर्ष

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजप	त्र : असाधारण		
2. आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आय-कर अपील अधिकरण	न्यायाधीश रहा है; या (ग) वह योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति है तथा उसे बीस वर्ष से अन्यून का अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामले, प्रशासन, श्रम संबंध, औद्योगिक विवाद या किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यवसायिक अनुभव है, जो केंद्रीय सरकार की राय में औद्योगिक अधिकरण के लिए उपयोग हो सकता है। (1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जव तक वह किसी उच्च न्यायालय का पीठासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है, जिसने किसी उच्च न्यायालय में या आय-कर अपील अधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में सात वर्ष से अन्यून सेवा नहीं कर ली है। (2) केंद्रीय सरकार आय-कर अपील अधिकरण के एक या अधिक सदस्यों को, यथास्थिति, उसका उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। (3) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति अर्हित नहीं होगा— (क) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष के लिए न्यायिक पद धारण नहीं किया है; या (ख) वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है और उसने सेवा के ग्रेड 2 या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की है; या (ग) वह कम से कम दस वर्ष के लिए अधिवक्ता नहीं रहा है; (4) कोई व्यक्ति लेखा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा,—	किया जाने वाला सचिव, भारत सरकार – सदस्य (iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ – सदस्य अ. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए के लिए खोजवीन-सह-चयन समिति: (i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उच्चतम न्यायालय का आसीन न्यायाधीश – अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, आय-कर अपील अधिकरण – सदस्य और (iii) सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) – सदस्य के लिए खोजवीन-सह-चयन समिति: (i) विधि और न्याय मंत्री का नामनिर्देशिती – अध्यक्ष (ii) सचिव, विधि और न्याय मंत्री का नामनिर्देशिती – अध्यक्ष (ii) सचिव, विधि और न्याय मंत्री का नामनिर्देशिती – अध्यक्ष (ii) सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) – सदस्य	तीन वर्ष	अध्यक्ष – पैंसठ वर्ष उपाध्यक्ष – वासठ वर्ष सदस्य – वासठ वर्ष
	या (ग) वह कम से कम दस वर्ष के लिए अधिवक्ता नहीं रहा है; (4) कोई व्यक्ति लेखा सदस्य के रूप में	(iv) दो से अनिधक कोई अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जैमा विधि और न्याय मंत्री नियुक्त करें।		

8	THE GAZETTE OF INI	DIA : EXTRAORDINARY	[PART II-	—SEC. 3(1)]
3 मीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण	रिजिस्ट्रीकृत लेखाकार है और भागतः चार्टर्ड अकाउंटेंट है; या (ii) वह भारतीय राजस्व सेवा (आय-कर सेवा समूह 'क') का मदस्य रहा है और उसने अपर आयुक्त आय-कर या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की है। (1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगाः (क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या (ख) वह अपील अधिकरण का सदस्य है। (2) कोई सदस्य न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा— (क) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस्य वर्ष के लिए न्यायिक पद धारण नहीं किया है; या (ख) वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है और उसने सेवा के ग्रेड 1 या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की है; या (ग) वह कम से कम दस वर्ष के लिए अर्धिवक्ता नहीं रहा है। (3) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्दित नहीं होगा यदि वह भारतीय राजस्व (मीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा समूह 'क') का सदस्य न हो और उसने आयुक्त सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मेवा समूह 'क') का सदस्य न हो और उत्पाद-शुल्क पा किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा नहीं की है।	(अ) अध्यक्ष के पद के लिए खोजबीन- सह-चयन समिति— (i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जैसा कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए – अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार, राजस्व विभाग – सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, विधि कार्य विभाग – सदस्य (iv) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य (iv) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य (ii) न्यायिक सदस्य के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति— (i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जैसा कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए – अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) – सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, विश्व और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) – सदस्य (iv) अध्यक्ष, सीमाशुल्क उत्पादशुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण – सदस्य; और (v) दो से अनिधिक ऐसे अन्य सदस्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं – सदस्य इ. तकनीकी सदस्य के लिए खोजबीन- सह-चयन मिनित	तीन वर्ष	अध्यक्ष - सड़मठ वर्ष सदस्य - वासठ वर्प
		जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं – सदस्य इ. तकनीकी सदस्य के लिए खोजबीन-		

	11 0 0 5(1)]		न्य : असावारण		
			लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) – सदस्य (iv) मचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) – सदस्य।		
4.	तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) के अधीन अपील अधिकरण	(1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है (2) अपील अधिकरण का सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति में नीचे का न हो	(अ) अध्यक्ष पद के लिए खोजवीन- सह-चयन समिति,— (i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायधीम- अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार, राजस्व विभाग – सदस्य; (iii) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग – सदस्य; (iv) सचिव, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य (आ) सदस्य के पद के लिए खोजबीन- सह-चयन समितिः (i) मंत्रिमंडल सचिव – अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार राजस्व विभाग – सदस्य; (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले भारत सरकार के दो सचिव	तीन वर्ष	अध्यक्ष – पैंसठ वर्ष सदस्य – बासठ वर्ष
5.	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के अधीन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण	1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,— (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) केन्द्रीय प्रशामनिक अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य या न्यायिक सदस्य के रूप में तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पद धारण किया है। (ग) योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और जो अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रवंध, उद्योग, लोक कार्य-कलाप या	(अ). अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:- (i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ – सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य (iv) सचिव, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य (v) एक विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए – सदस्य	तीन वर्ष	अध्यक्ष – अड़सठ वर्ष सदस्य – पैंसठ वर्ष

प्रशासन या कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की राय में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के लिए उपयोगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और इनमें कम से कम बीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो।

- 2. कोई व्यक्ति—
- (क) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,—
- (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या
- (ii) जिसने भारत सरकार के विधि कार्य विभाग या विधायी विभाग के सचिव, जिसमें भारत के विधि आयोग का सदस्य - सचिव भी है, का पद कम में कम एक वर्ष तक धारण किया हो: या
- (iii) जिसने भारत सरकार के विधि कार्य विभाग या विधायी विभाग का अपर सचिव का पद कम से कम दो वर्ष तक धारण किया हो; या
- (iv) जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो.—
- (ख) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा,—
- (i) जब उसने भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद कम से कम एक वर्ष तक धारण किया हो और कम से कम एक वर्ष तक ऐसे पद के वेतनमान में हो जो भारत सरकार के सचिव के वेतनमान से कम न हो; या
- (ii) जब उसने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद कम से कम दो वर्ष तक धारण किया हो और कम से कम दो वर्ष तक ऐसे पद के वेतनमान में हो जो भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो:

परंतु अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर किसी निम्नतर पद पर थे या हैं, ऐसी तारीख से ऐसे अधिकारी को प्रोफार्मा

- लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:-(i) ऐसा व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए -अध्यक्ष
- (ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण – सदस्य
- (iii) सचिव, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य
- (iv) सचिव, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य
- (v) एक विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - सदस्य

[भाग ।।—खण्ड उ(1)]			
	प्रोन्नति या वास्तविक प्रोन्नति, जो भी पहले हो, यथास्थिति, सचिव या अपर सचिव के स्तर पर दी गई थी, यथास्थिति, सचिव या अपर सचिव का पद धारण किए हुए समझे जाएंगे और ऐसी तारीख के पश्चात् केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि इस खंड के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के लिए गिनी जाएगी।		
6. रेल दावा अधिकरण अधिनयम, 1987 (1987 का 54) के अधीन रेल दावा अधिकरण।	1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,- (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) यथास्थिति, उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण किया है; या (ग) योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति हो तथा रेल से सम्बन्धित दावों और वाणिज्य विषयों की विशेष जानकारी रखता है और उनमें कम से कम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो। 2. कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह, - (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) भारतीय विधि मेवा का सदस्य रहा है और उस सेवा की श्रेणी 1 का पद या कोई उच्चतर पद कम से कम पांच वर्ष तक धारण किया है; या (ग) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई सिविल न्यायिक पद धारण किया है, जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम नहीं है; या (घ) न्यायिक सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण किया है। 3. कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति के तभी अर्हित होगा जव उसने,-		अध्यक्ष – मड़मठ वर्ष उपाध्यक्ष – पैंसठ वर्ष सदम्य – वामठ वर्ष
	(क) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए तकनीकी सदस्य के रूप में पद धारण किया हो; या		

12		THE GAZETTE OF INI	DIA : EXTRAORDINARY	[PART II-	—SEC. 3(i)]
		(ख) रेल प्रशासन के अधीन कम से कम पांच वर्ष तक ऐसा पद धारण किया है जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान में कम नहीं है और जिसे रेल से सम्बन्धित दावों और वाणिज्यिक विषयों के नियमों और प्रक्रियाओं का पर्याप्त ज्ञान है और इनमें पर्याप्त अनुभव रखता है।	**		
		4. कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,- (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया है।			
		5. कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब बह,- योग्य और ईमानदार तथा अनुभवी व्यक्ति है और रेल से सम्बन्धित वाणिज्यक विषयों के नियमों और प्रक्रियाओं का विशेष ज्ञान रखता हो और उनमें कम से कम पञ्चीम वर्ष का अनुभव रखता हो।			
7.	भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण	 कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी या न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब बह,- (क) पीठासीन अधिकारी के मामले में कम से कम सात वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है: 	नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या	तीन वर्ष	पीठासीन अधिकारी - सत्तर वर्ष सदस्य - सडसठ वर्ष
		(ख) न्यायिक सदस्य के मामले में कम से कम पांच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या (ग) तकनीकी सदस्य के मामले में- (i) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में अपर सचिव या सचिव है	कार्य विभाग - सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार वित्तीय सेवा विभाग - सदस्य (iv) सचिव, भारत सरकार विधायी विभाग या विधि कार्य विभाग - सदस्य		

या रहा है या केट्टीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समसुल्य पर धारण कर रहा है, या (ii) सावित गोग्य, ईमानदार और अनुभव बाला व्यक्ति, जिसको विभीय सेक्टर, जिनके अन्तरांत प्रतिभूति बाजार या पंजन निधि या बन्तु व्यूलक या सीमा भी है, में विशेष ज्ञान रखना है और उनमें कम से कम पंट्रह वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखना हो। 2. बोई या बीमा विनियासक और विकास प्राधिकरण या पंजन निधि विनियासक और विकास ग्राधिकरण को सोई में वा ऐसे प्रधिकरणों में कार्यपालक निदेशक के समानुष्य ज्येष्ठ प्रवंध नार पर कोई व्यक्ति अपनी सेवा या कार्यकाल ने दौरान प्रतिभूति अधीयत अधिकरण का पीठातीन अधिकारी या मदस्य के रूप में, याधिकरणों को उस रूप में पर पर नहीं रह जाता है, से दो वर्ष के मीतर नितुक्त नहीं किया जाएगा 3. प्रतिभूति अपीस अधिकरण का पौठातीन अधिकारी या सदस्य ऐसा व्यक्ति होंगा जो ऐसा कोई विभीय या अन्य हित नहीं रखता है विससे पौठातीन अधिकारी या सदस्य के रूप में उत्रक्ति कुला प्रभाव वार्तिक कि का का वस्त्री अधिकरण का पौठातीन अधिकारी या सदस्य ऐसा व्यक्ति होंगा जो ऐसा कोई विभीय या अन्य हित नहीं रखता है विससे पौठातीन अधिकारी या सदस्य के रूप में तिनुक्त कुलों पर प्रतिकृत प्रभाव विस्तेय अस्त्र कि किया नामावा है। 8. वैकों और विसस, अधिकारी विस्तर क्राव्य वह, है या जिला न्यायाधील होने के लिए समुनी अधिकरण समूनी अधिकरण समूनी अधिकरण समूनी अधिकरण क्राह्म सम्भावा ही। वित्र सम्भावा सम्भावा ही। वित्र सम्भावा सम्भावा ही। वित्र सम्भावा सम्भावा ही। वित्र सम्भावा सम्भावा ही। वित्र सम्भावा ही। वित्र सम्भावा सम्भाव
3. प्रतिभृति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है जिससे पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकृत्ल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। 8. बैंकों और वित्तीय मंस्थाओं को कोई व्यक्ति ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के लिए तभी अर्हित होगा जव वह, के लिए तभी अर्हित होगा जव वह, है या जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) योग्य, ईमानदारी और अर्थशाख, कारवार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक, कार्यक्ताप, प्रशासन, बैंककारी, ऋण वसूली या कोई अन्य विषय, जो स्विव, भारत सरकार, वित्त स्वस्य; (iii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) – सदस्य; (iii) सचिव, भारत सरकार, वित्त संवालय (आर्थिक कार्य विभाग) – सदस्य; (iii) सचिव, भारत सरकार, वित्त संवालय (आर्थिक कार्य विभाग) – सदस्य;
वसूली अधिकरण के लिए उपयोगी भारतीय रिजर्व वैंक के गवर्नर द्वारा

14		THE GAZETTE OF IN	DIA : EXTRAORDINARY	[I AKI II	—SEC. 3(1)]
		-	सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग - सदस्य		
9.	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण वसूली अधिकरण	1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जव वह,- (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; (ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है और उस सेवा की श्रेणी 1 में पद धारण किया है; या (ग) ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण किया है।	ऋण वसूनी अपील अधिकरण के अध्यक्ष के लिए खोजवीन-सह-चयन समिति:- (i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) – सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य (iv) भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नामनिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर – सदस्य; और (v) सचिव, भारत सरकार या अपर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग – सदस्य	तीन वर्ष	अध्यक्ष - सत्तर वर्ष
10.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) के अधीन विमानपत्तन अपील अधिकरण	वाणिज्य, विधि, वित्त, लखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कलाप,	विमानपत्तन अपील अधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए खोजबीन-सह- चयन समिति:- (i) ऐसा व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए – अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय – सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए – सदस्य	तीन वर्ष	अध्यक्ष - बासठ वर्ष
11.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण	 कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह – (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; या (ग) उसने सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अविध के लिए पद धारण किया है; या 	(ii) सचिव, भारत सरकार दूरसंचार विभाग – सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, जो	नीन वर्ष	अध्यक्ष - सत्तर वर्ष सदस्य - पेंसठ वर्ष

	T				13
		(घ) योग्य, ईमानदार और अनुभर्व व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, कारवार वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कलाप, प्रशासन या किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की राय में दूरसंचार, विवाद, निपटान और अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और उनमें कम से कम बीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो। 2. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रवंध, उद्योग, लोक कार्यक्लाप, प्रशासन या किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की राय में अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और उनका कम से कम वृत्तिक अनुभव रखता हो।	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं — सदस्य आ. सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:- (i) ऐसा व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार दूरसंचार विभाग — सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए — सदस्य		
12.	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन अपील बोर्ड	1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब,- (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) उसने अपील बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए धारण किया है। 2. कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब,- (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) उसने न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य का पद दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए धारण किया है और उसके पास बार में व्यवसाय का कम से कम 12 वर्ष के अनुभव या राज्य न्यायिक सेवा में 12 वर्ष के अनुभव के साथ विधि की डिग्री है। 3. कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब,- (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा	(अ). अपील बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन सिमिती:- (i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनका नामनिर्देशिती-अध्यक्ष (ii) सचिब, भारत सरकार औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग-सदस्य; (iii) सचिब, भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला-सदस्य; (iv) दो विशेषज्ञ, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वालं-सदस्य। (आ.) अपील बोर्ड के तकनीकी सदस्य (त्र्यापार चिह्न), तकनीकी सदस्य (प्रतेलिप्याधिकार) के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन सिमिति:- (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वालं	तीन वर्ष	अध्यक्ष- सड़मठ वर्ष उपाध्यक्ष- पेंसठ वर्ष सदस्य- पेंसठ वर्ष

THE GAZETTE OF INDI.
न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है;
(ख) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में किसी
न्यायिक अधिकारी का पद कम से कम
10 वर्ष के लिए धारण किया है।
4. कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य
(व्यापार चिह्न) के रूप में नियुक्ति के
लिए तभी अर्हित होगा, जब ,-
(क) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999
(1999 का 47) के अधीन किसी
अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन किया
है और उसने कम से कम 5 वर्ष की
अवधि के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार से
अन्यून पंक्ति का कोई पद धारण किया
है और उसके पास बार में व्यवसाय
का कम से कम 12 वर्ष के अनुभव या
राज्य न्यायिक सेवा में 12 वर्ष के
अनुभव के साथ विधि की डिग्री है ,
या
(ख) बह कम से कम 10 वर्ष के लिए
व्यापार चिह्न विधि में सिद्ध विशिष्ट
अनुभव के साथ अधिवक्ता रहा है ।
 कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य
(व्यापार चिह्न) के रूप में नियुक्ति के
लिए तभी अर्हित होगा, जब ,-
(क) उसने कम से कम 5 वर्ष के लिए
पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का
39) के अधीन कोई पद धारण किया
है या उसके अधीन नियंत्रक के कृत्यों
का निर्वहन किया है; या
(ख) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए
रजिस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में
कार्यकरण किया है और उसके पास
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से इंजीनियरी
या प्रौद्योगिकी में डिग्री या विज्ञान में
मास्टर की डिग्री है।
6. कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य
(प्रतिलिप्यधिकार) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब ,-
(क) वह भारतीय विधिक सेवा का
सदस्य है या रहा है और उस मेवा के
ग्रेड-1 में कम से कम 3 वर्ष के लिए
पद धारण कर रहा है या पद धारण
किया है; या
(ख) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए
भारत के राज्यक्षेत्र में कोई न्यायिक
पद धारण किया है ; या
(ग) वह अधिकरण का सदस्य है या रहा है या वह भारत सरकार के संयुक्त
सचिव से अन्यून पंक्ति का सिविल
मेचव स अन्यून पाक्त का स्थापन

सेवा का सदस्य है या रहा है,

व्यक्ति-अध्यक्षः;

- (ii) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग-सदस्य;
- (iii) सचिव, भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला-सदस्य;
- (iv) दो विशेषज्ञ, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले-सदस्य।

					17
		प्रतिलिप्यधिकार के क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव सहित; या (घ) प्रतिलिप्यधिकार विधि में सिद्ध विशिष्ट अनुभव के साथ कम से कम 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता रहा है: परंतु अपील बोर्ड के कम से कम एक सदस्य के पास, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऊपर (क), (ख) और (घ) में दी गई अर्हता होगी।			
13.	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण	(1). अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। (2). न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या पांच वर्ष से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का न्यायधीश है या रहा है या पांच वर्ष से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का न्यायिक सदस्य है। (3). तकनीकी सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास सिद्ध योग्यता, ईमानदारी और अनुभव है तथा जिसके पास विधि, औद्योगिक विन्त, औद्योगिक प्रवंध या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्सिन्नर्माण, विनिधान, लेखाकर्म, या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केन्द्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, विशेष जान और कम से कम पञ्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव है।	(अ). अपील अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् की जाएगी। (आ). अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:- (i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती -अध्यक्ष; (ii) उच्चतम न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति - सदस्य; (iii) सचिव, भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य; (iv) सचिव, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य।	तीन वर्ष	अध्यक्ष-सत्तर वर्ष सदस्य-सड़सठ वर्ष
14.	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अग्निम विनिर्णय प्राधिकरण	कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नानुसार अर्हित होगा- (क) अध्यक्ष, (i) जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, या (ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; या (iii) कम से कम 7 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति रहा है; या (iv) कम से कम 3 वर्ष के लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, राजस्व सदस्य या विधि सदस्य रहा है; या (v) ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास सिद्ध योग्यता, ईमानदारी और अनुभव है तथा जिसके पास अर्थशास्त्र, कारवार,	(अ). अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:- (i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा यथानामनिर्दिष्ट भारत के उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश-अध्यक्ष; (ii) सचिव, भारत सरकार, (राजस्व विभाग) - सदस्य; (iii) सचिव, भारत सरकार, (विधि कार्य विभाग) - सदस्य; (iv) सचिव, भारत सरकार, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) - सदस्य। (आ) सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:- (i) मंत्रिमंडल सचिव-अध्यक्ष; (ii) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-सदस्य;	तीन वर्ष	अध्यक्ष-सत्तर वर्ष उपाध्यक्ष- पेंसठ वर्ष सदस्य-बासठ वर्ष

18		THE GAZETTE OF INI	DIA : EXTRAORDINARY	[PART II-	—SEC. 3(1)]
15.	चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के अधीन फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण	वाणिज्य, विधि वित्त, लेखाकर्म प्रवंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन, कराधान में या किसी ऐसे अन्य विषय में जो केन्द्रीय सरकार की राय में अधिकरण के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और कम से कम 25 वर्ष का वृत्तिक अनुभव है। (ख) उपाध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है। (ग) भारतीय राजस्व सेवा से राजस्व सदस्य, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर वोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है और भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा का कोई ऐसा अधिकारी, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क वोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है। (घ) भारतीय विधिक सेवा से विधिक सदस्य, जो भारत सरकार का अपर सचिव है। (ा) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब,- (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) उसने सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अविधे के लिए पदधारण	(iii) मचिव, भारत सरकार, राजस्व विभाग-सदस्य; (iv) भारत सरकार के दो सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले-सदस्य। अपील अधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए खोजवीन-सह-चयन समिति:- (i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला व्यक्ति-अध्यक्ष; (ii) मचिव, भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय-सदस्य;	तीन वर्ष	अध्यक्ष- सडमठ वर्ष सदस्य-पैंसठ वर्ष
16.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) के अधीन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान	किया है; या (ग) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और उसके पास विधि, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन, फिल्मों में या किनी ऐसे अन्य विषय में, जो केन्द्रीय सरकार की राय में अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और कम से कम 25 वर्ष का वृत्तिक अनुभव है। (2). केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों को अपील अधिकरण के सदस्य के रूप मे नियुक्त कर सकेगी, जो उसकी राय मे जनता पर फिल्मों के प्रभाव को समझने के लिए अर्हित है। (1). कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप मे नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होग जव,— (क) वह उच्चतम न्यायालय क न्यायाधीश हो यो रहा है या ऐस न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) वह किसी उच्च न्यायालय क मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; या	वाला-सदस्य; (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ-सदस्य। (अ). अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी। (आ) सदस्य के पद के लिए खोजबीन- सह-चयन समिति:— (i) कोर्ड ब्यक्ति जो उच्चतम		अध्यक्ष-मत्त वर्ष सदस्य-मत्तः वर्ष

	आयोग	(ग) उसने कम से कम तीन वर्ष के लिए	भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा		
	V341-2-00-50	सदस्य या न्यायिक सदस्य का पद	नामनिर्दिष्ट किया जाए—अध्यक्ष ;		
		धारण किया है ; या	(ii) सचिव, भारत सरकार, विधि कार्य		
		(घ) वह योग्य, ईमानदार और	विभाग सदस्य ;		
		अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास	(iii) सचिव, भारत सरकार,		
		अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि,	उपभोक्ता कार्य मंत्रालय -सदस्य ;		
		वित्त, लेखाकर्म, प्रवंध, उद्योग, लोक	(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट		
		कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य	किए जाने वाले दो विशेषज्ञ –सदस्य ।		
		विषय में, जो केंद्रीय सरकार की राय	105, 001 411 4114141 314141		-
		में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान			
		आयोग के लिए उपयोगी है, विशेष			
		ज्ञान और पच्चीस वर्ष से अन्यून का			
		वृत्तिक अनुभव है। (2). कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में			
		नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा			
		जब वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी			
		व्यक्ति है, जिसके पास अर्थशास्त्र,			
		कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त,			
		लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य,			
		प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय			
		में, जो केंद्रीय सरकार की राय में			
		राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान			
		आयोग के लिए उपयोगी है, विशेष			
		ज्ञान और पच्चीस वर्ष से अन्यून का			
		वृत्तिक अनुभव है : परंतु किसी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य			
		के रूप में केवल तभी नियुक्त किया			
		जाएगा जब,			
		(क) वह किसी उच्च न्यायालय का			
		न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा			
		न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है ; या			
		(ख) उसने कम से कम दस वर्ष के लिए भारत के राज्यक्षेत्र में कोई न्यायिक			
		पद धारण किया है।			
17.	विद्युत	(1). कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के	(अ). अपील अधिकरण के अध्यक्ष और	तीन वर्ष	अध्यक्ष-सत्तर
	अधिनियम,	अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए	न्यायिक सदस्य के पद के लिए खोजवीन-सह-चयन समिति:		वर्ष
	2003 (2003	तभी अर्हित होगा जब,—	(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या		सदस्य-पैंसठ
	का 36) के अधीन विद्युत	(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा	उनका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष ;		वर्ष
	अपील	न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है ; या	(ii) सचिव, विद्युत मंत्रालय – सदस्य ;		
	अधिकरण	(ख) वह किसी उच्च न्यायालय का	(iii) सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय		
		मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ; या	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने		
		(ग) उसने कम से कम तीन वर्ष की	वाला – सदस्य ;		
		अवधि के लिए न्यायिक सदस्य या	(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट		
		तकनीकी सदस्य का पद धारण किया	किए जाने वाले दो विशेषज्ञ –सदस्य।		
		है; या	The state of the state of the state of		
		(घ) वह योग्य, ईमानदार और			

0	THE GAZETTE OF IN	DIA: EXTRAORDINARY	[I AKI II	
	अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि, विल, लेखाकर्म, प्रवंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केंद्रीय सरकार की राय में अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, विशेष जान और पच्चीस वर्ष से अन्यून का वृत्तिक अनुभव है। (2). कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब, (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) उसने कम से कम दम वर्ष के लिए भारत के राज्यक्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया है। (3). कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जव वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास विद्युः जनन, पारेषण, वितरण, विनियमन अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि विल्त, लेखाकर्म, प्रवंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केंद्रीय सरकार की रा में अपील अधिकरण के लिए उपयोग है, विशेष जान और पच्चीस वर्ष	(आ). अपील अधिकरण के तकनीकी सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:— (i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला कोई व्यक्ति — अध्यक्ष; (ii) सचिव, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय – सदस्य; (iii) सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला – सदस्य; (iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला – सदस्य;		
का 55 अधीन	नेयम, नियुक्ति के लिए तभी अर्हित हो। (2007) जब,—	ता की नियुक्ति कंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी। (आ) सशस्त्र वल अधिकरण के उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के पद के लिए खोजवीन-सह-चयन समिति:— के (i) उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश है, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए या भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष — अध्यक्ष; (ii) अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण - सदस्य; की (iii) भारत सरकार के दो सचिव, जिनमें रक्षा सचिव भी होगा -सदस्य।		अध्यक्ष-सत्तर वर्ष सदस्य-पेंसठ वर्ष

					21
		धारण किया है या कर रहा है ; या (ख) उसने सेना या नौसेना या वायु			
		सेना में एक वर्ष से अन्यून अवधि के लिए जज एडवोकेट जनरल के रूप में			
		सेवा की है और वह क्रमश: मेजर			
		जनरल, कोमोडोर और एयर कोमोडोर			
		की पंक्ति से निम्न का नहीं है ; या			
		(ग) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी			
		व्यक्ति है, जिसके पास अर्थशास्त्र,			
		कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त,	10		
		लेखाकर्म, प्रवंध, उद्योग, लोक कार्य,			
		प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय			
	•	में, जो केंद्रीय सरकार की राय में			
		एएफटी के लिए उपयोगी है, विशेष			
		ज्ञान और बीस वर्ष से अन्यून का वृत्तिक अन्भव है।			
19.	राष्ट्रीय हरित	(1). कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में	(अ). राष्ट्रीय हरित अधिकरण के	तीन वर्ष	अध्यक्ष-सत्तर
	अधिकरण	नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा	अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के पद के		वर्ष
	अधिनियम,	जब,	लिए खोजबीन-सह-चयन समिति :-		
	2010 (2010	(क) वह उच्चतम न्यायालय का	(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या		सदस्य-सड़सठ
	का 19)	न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा	उनका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष ;		वर्ष
		न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है ; या	(ii) सचिव, भारत सरकार पर्यावरण,		
		(ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ; या	वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय –		
		(ग) उसने कम से कम तीन वर्ष की	सदस्य ;		
		अवधि के लिए न्यायिक सदस्य या	(iii) मचिव, भारत सरकार, केंद्रीय		
		विशेषज्ञ सदस्य के रूप में पद धारण	सरकार द्वारा नामनिर्दिग्ट किए जाने		
		किया है ; या	वाला – सदस्य ;		
		(घ) वह योग्य, ईमानदार और	(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट		
		अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास विधि	किए जाने वाले दो विशेषज्ञ –सदस्य।		
		के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और पच्चीस वर्ष	(आ). राष्ट्रीय हरित अधिकरण के		
		से अन्यून का वृत्तिक अनुभव है,	विशेषज्ञ सदस्य के पद के लिए खोजवीन-सह-चयन समिति:		
		जिसमें पर्यावरण और वन के क्षेत्र में	(i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट		
		पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव सम्मिलित हो।	()) कन्नाच सरकार द्वारा नामानादप्ट किए जाने वाला कोई व्यक्ति -		
		(2). कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के			
		रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित	अध्यक्ष ;		
		होगा जब,	(ii) सचिव, पर्यावरण, वन और		
		(क) वह किसी उच्च न्यायालय का	जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – सदस्य		
		न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा	,		
		न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है ; या	(iii) सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय		
		(ख) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष के लिए कोई न्यायिक	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने		
		पद धारण किया है।	वाला – सदस्य ;		
		(3). कोई व्यक्ति विशेषज्ञ सदस्य के	(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिप्ट		
		रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित	किए जाने वाले दो विशेषज्ञ -सदस्य।		
		होगा जब,			
		(क) उसके पास विज्ञान में स्नातक			

22	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	
22	जिसके अंतर्गत डिग्री/पीएचडी हो तथा सुसंगत क्षेत्र में वीस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें पर्यावरण और वन (जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण, परिसंकटमय पदार्थ प्रवंध, पर्यावरण समाघात निर्धारण, जलवायु परिवर्तन प्रवंध, जैविक विविधता प्रवंध और वन संरक्षण भी है) के क्षेत्र में किसी सुविख्यात राष्ट्रीय स्नर की संस्था में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव सम्मिलित हो; या (ख) उसके पास पच्चीस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव है, जिसमें पांच वर्ष का ऐसा अनुभव सम्मिलित हो, जिसके दौरान उसने केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सुविख्यात राष्ट्रीय या राज्य स्तर की संस्था में पर्यावरण संबंधी मामलों से संबंधित कार्यवाही	

[फा. सं. ए-50050/9/2016-एडी1मी (सीईएसटीएटी) पीटी. []

उदय सिंह कुमावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2017

G.S.R. 514(E).—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Finance Act, 2017 (7of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

- 1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Tribunal. Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These rules shall apply to the Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice- Chairperson, President, Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority as specified in column (2) of the Eighth Schedule of the Finance Act, 2017 (7 of 2017).
- 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means an Act specified in column (3) of the Eighth Schedule of the Finance Act, 2017(7 of 2017);
 - (b) "Accountant Member", "Administrative Member", "Judicial Member", "Expert Member", "Law Member", "Revenue Member" or "Technical Member" means the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member or Technical Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority appointed under the corresponding provisions of the Act:
 - (c) "Appellate Tribunal", "Authority" or "Tribunal" has the same meaning as assigned to it in the corresponding provisions of the Act;
 - (d) "Chairman" or "Chairperson" or "President" means the Chairman, Chairperson or President of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority appointed under the corresponding provisions of the Act;
 - (e) "Member" means the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member or Technical Member and includes the Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice-

- Chairperson, Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, President or, as the case may be, Vice-President;
- (f) "Presiding Officer" means the Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal appointed under section 15L of the Securities and Exchange Board of India Act,1992 (15 of 1992), Presiding Officer of the Debt Recovery Tribunal appointed under sub-section (1) of section 4 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993) and Presiding Officer of the Industrial Tribunal appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947);
- (g) "Search-cum-Selection Committee" means the Search-cum-Selection Committee referred to in rule 4;
- (h) "Vice-Chairman" or "Vice- Chairperson" or "Vice-President" means the Vice-Chairman, the Vice-Chairperson or Vice-President of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority;
- (i) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the respective Acts.
- 3. Qualifications for appointment of Member.—The qualification for appointment of the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairman, Vice-Chairman, Vice-President, President, President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall be such as specified in column (3) of the Schedule annexed to these rules.
- 4. Method of recruitment.—(1) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Search-cum-Selection Committee specified in column (4) of the said Schedule in respect of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority specified in column (2) of the said Schedule.
- (2) The Secretary to the Government of India in the Ministry or Department under which the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority is constituted or established shall be the convener of the Search-cum -Selection Committee.
- (3) The Search-cum-Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation.
- (4) No appointment of Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or Authorities shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence in the Search-cum-Selection Committee.
- (5) Nothing in this rule shall apply to the appointment of Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority functioning as such immediately before the commencement of these rules.
- 5. Medical fitness.—No person shall be appointed as the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or Authority, or a case may be unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf
- 6. Resignation by a Member.—A Member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time:

Provided that the Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

- 7. Removal of Member from office.—The Central Government may, on the recommendation of a Committee constituted by it in this behalf, remove from office any Member, who—
- (a) has been adjudged as an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where a Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), the Member shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges:

Provided further that the Chairperson or member of the National Company Appellate Tribunal shall be removed from office in consultation with the Chief Justice of India.

8. Procedure for inquiry of misbehavior or incapacity of the Member .--

- (1) If a written complaint is received by the Central Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, President, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member, the Ministry or Department of the Government of India under which the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority is constituted or established, shall make a preliminary scrutiny of such complaint.
- (2) If on preliminary scrutiny, the Ministry or Department of the Government of India under which the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority is constituted or established, is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, President, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member, it shall make a reference to the Committee constituted under rule 7 to conduct the inquiry.
- (3) The Committee shall complete the inquiry within such time or such further time as may be specified by the Central Government.
- (4) After the conclusion of the inquiry, the Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.
- (5) The Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.
- 9. Term of office of Member.—Save as otherwise provided in these rules, the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairman, Vice-Chairman, Vice-Chairman, Vice-Chairman, Vice-Chairman, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or, as the case may be, Member shall hold office for a term as specified in column (5) of the said Schedule and shall hold the office up to such age as specified in column (6) in the said Schedule from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment.
- 10. Casual vacancy.—(1) In case of a casual vacancy in the office of.—
- (a) the Chairman, Chairperson. President, or Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, the Central Government shall have the power to appoint the senior most Vice-Chairperson or Vice-Chairman, Vice-President or in his absence, one of the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority to officiate as Chairperson. Chairman, President or Presiding Officer.
- (b) the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, the Central Government shall have power to appoint the Chairperson of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Chairperson and in case of a casual vacancy in the office of the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal shall have power to appoint the Presiding Officer of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Presiding Officer.
- 11. Salary and allowances.—(1) The Chairman, Chairperson or President of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be. Authority or the Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal shall be paid a salary of Rs. 2,50,000 (fixed) and other allowances and benefits as are admissible to a Central Government officer holding posts carrying the same pay.
- (2) The Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or, as the case may be, Member shall be paid a salary of Rs. 2,25,000 and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India Officer holding Group 'A' post carrying the same pay.
- (3) A Presiding Officer of the Debt Recovery Tribunal or a Presiding Officer of the Industrial Tribunal constituted by the Central Government shall be paid a salary of Rs.1,44.200 2,18,200 and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.
- (4) In case of a person appointed as the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, President, Presiden

Member, Revenue Member, Technical Member or Member, as the case may be, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

- 12. Pension, Gratuity and Provident Fund.—(1) In case of a serving Judge of the Supreme Court, a High Court or a serving Judicial Member of the Tribunal or a member of the Indian Legal Service or a member of an organised Service appointed to the post of the Chairperson, Chairman, President or Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, the service rendered in the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs and he shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and the Contribution Pension System.
- (2) In all other cases, the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 and the Contribution Pension System.
- (3) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority.
- 13 Leave.—(1) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, Presiding Officer or a Member shall be entitled to thirty days of earned Leave for every year of service.
- (2) Casual Leave not exceeding eight days may be granted to the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member or Technical Member, Presiding Officer or a Member in a calendar year.
- (3) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
- (4) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.
- 14. Leave sanctioning authority.—(1) Leave sanctioning authority.—
- (a) for the Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal and Industrial Tribunal, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be Chairman, Chairperson or as the case may be. President; and
- (b) for the Chairman, Chairperson, Presiding Officer of Security Appellate Tribunal or President, shall be the Central Government, who shall also be sanctioning authority for Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member or Member in case of absence of Chairman, Chairperson, Presiding Officer of Security Appellate Tribunal or President.
- (2) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or a Member.
- 15. House rent allowance.—The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member or Member shall be entitled to house rent allowance at the same rate as are admissible to Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status.
- 16.Transport allowance.—The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the facilities as are admissible to Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status as per the provisions of Staff Car Rules.
- 17. Declaration of Financial and other Interests.—The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall, before entering upon his office, declare his assets, and his liabilities and financial and other interests.
- 18. Other conditions of service.—(1) The terms and conditions of service of a Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice- President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status.

- (2) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice- President, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall not practice before the Tribunal, Appellate Tribunal or Authority after retirement from the service of that Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority.
- (3) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice- President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the Tribunal, Appellate Tribunal or Authority.
- (4) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

- 19. Oaths of office and secrecy.—Every person appointed to be the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairman, Vice-Chairman, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Forms I and II annexed to these rules.
- 20. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 21. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government thereon shall be final.
- 22. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes. Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

FORM I

(See rule 19)

Form of Oath of Office for Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/Administrative Member/Judicial Member/ Expert Member/Law Member/Revenue Member/Technical Member, /Member of the (Name of the Tribunal/Appellate Tribunal/Authority)

I, A. B., having been appointed as Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/ Accountant Member/ Administrative Member, Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member/ Member of the (Name of the Tribunal/Appellate Tribunal/Authority

do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/ Accountant Member/ Administrative Member/ Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member/ Member (Name of the Tribunal/Appellate Tribunal/Authority) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

FORM II

(See rule 19)

Form of Oath of Secrecy for Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer / Accountant Member/ Administrative Member/ Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member / Member of the (Name of Tribunal/Appellate Tribunal/Authority

I. A. B., having been appointed as the Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ President/ President of the the Name of Tribunal/Appellate Tribunal/Authority), do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/ Presiding Officer / Accountant Member/ Administrative Member, Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member / Member of the said (Name of Tribunal/Appellate Tribunal/Authority) except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/Member.

SCHEDULE

SI. No.	Name of Tribunal, Appellate Tribunal or Authority.	Qualification for appointment of Chairperson, Chairman, President, Vice- Chairperson, Vice- Chairman, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member or Technical Member or Member.	Composition of Search- cum- Selection Committee	Term of Office	Maximum age for holding Office (in years)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Industrial Tribunal constituted by the Central Government under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)	A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer, unless he, - (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or	Search-cum-Selection- Committee for the post of the Presiding Officer, - (i) a person to be nominated by the Central Government- chairperson:	Three Years	Presiding Officer- Sixty- five years of age
	(14 01 1547)	(b) he has, for a period of not less than three-years, been a District Judge or an Additional District Judge; or	(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment- member;		
		(c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics. business, commerce, law, finance, management, industry, public affairs, administration, labour relations, industrial disputes or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Industrial Tribunal.	(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member; (iv) two experts to be nominated by the Central Government-members.		Paridant
2.	Income-tax Appellate Tribunal under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)	(1) A person shall not be qualified for appointment as President unless he is a sitting or retired Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court or a Vice-President of the Income-tax Appellate Tribunal. (2) The Central Government may appoint one or more members of the Income-tax Appellate Tribunal to be the Vice-President or, as the case may be, Vice-Presidents thereof. (3) A person shall not be	(A) Search-cum-Selection Committee for the post of the President and Vice-President, - (i) a sitting Judge of Supreme Court to be nominated by the Chief Justice of India- chairperson: (ii) the President, Income-tax Appellate Tribunal-member; and (iii) the Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)- member. (B) Search-cum-Selection Committee for the Accoun-		President- Sixty-five years Vice- President- Sixty-two years Member- Sixty-two years
		qualified for appointment as a Judicial Member, unless, — (a) he has for at least ten years	tant Member and Judicial Member, –		

20		THE GAZETTE OF INDIA	. EATHCORDII A IICI	Li vaci ii	—SEC. 3(1)]
		held a judicial office in the territory of India; or (b) he has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade II of the Service or any equivalent or higher post for at least three years; or (c) he has been an advocate for at least ten years; (4) A person shall not be qualified for appointment as an Accountant Member, unless,— (i) he has for at least ten years been in the practice of accountancy,— (a) as a chartered accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or (b) as a registered accountant under any law formerly in force; or partly as such registered accountant and partly as a chartered accountant; or (ii) he has been a member of the Indian Revenue Service (Income-tax Service Group 'A') and has held the post of Additional Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post for at least three years.	(i) a nominee of the Minister of Law and Justice-chairperson; (ii) Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)- member; (iii) President of the Incometax Appellate Tribunal – member; and (iv) such other persons, if any, not exceeding two, as the Minister of Law and Justice may appoint-member.		
3.	The Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal under the Customs Act, 1962 (52of 1962)	(1) A person shall not be qualified for appointment as President unless (a) he is or has been a Judge of a High Court; or (b) he is the member of the Appellate Tribunal. (2) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless, - (a) he has for at least ten years held a judicial office in the territory of India; or (b) he has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade-I of that Service or any equivalent or higher post for at least three years; or (c) he has been an advocate for at least ten years.	(A) Search-cum- Selection Committee for the post of President, - (i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India as chairperson; (ii) Secretary to the Government of India, Department of Revenue- member; (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)- member; (iv) Secretary to the Government of India, Department of Legal Affairs)- member; (iv) Secretary to the Government of India, Department of India, Department of Personnel and Training-member. (B) Search- cum- Selection	Three Years	President – Sixty-seven years Member- Sixty-two years

Lini	11-000 3(1)]	मारत का राजपत्र . र			27
		(3) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he has been a member of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise Service Group 'A') and has held the post of Commissioner of Customs or Central Excise or any equivalent or higher post for at least three years.	Committee for post of Judicial Member (i) a Judge of the Supreme Court as nominated by the Chief Justice of Indiachairperson; (ii) Secretary to the Government of India. Ministry of Finance (Department of Revenue)- member; (iii) Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) -member; (iv) President of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal- member; and (v) such other persons, not exceeding two, as the Central Government may nominate- member; (C). Search-cum-Selection Committee for the post of Technical member,- (i) Cabinet Secretary to the Government of India – chairperson; (ii) Secretary to the Government of Revenue)-member; (iii) Secretary to the Government of Revenue)-member; (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) – member;		
			(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Law (Department of Legal Affairs) – member.		
4.	Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976)	(1) The Chairman of the Appellate Tribunal shall be a person who is or has been or is qualified to be a Judge of a Supreme Court or a Judge of a High Court. (2) The Member of the Appellate Tribunal shall be a person not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.	(A) Search-cum- Selection Committee for the post of Chairman, - (i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India – chairperson; (ii) Secretary to the Government of India (Department of Revenue)-member;	Three Years	Chair- person Sixty-five years Member – Sixty-two years

1	
Three Years	Chairman Sixty-eight years
	Member - Sixty-five
	years
1	
	Years

- qualified to be, a Judge of a High Court; or
- (ii) has, for at least one year, held the post of Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or the Legislative Department including Member –Secretary, Law Commission of India; or
- (iii) has, for at least two years, held a post of Additional Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or Legislative Department; or
- (iv) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India.
- (b) as an Administrative Member, unless he, -
- (i) has, for at least one year, held the post of Secretary to the Government of India or any other post under the Central Government or a State Government and carrying the scale of pay which is not less than that of a Secretary to the Government of India for at least one year; or
- (ii) has, for at least two years, held a post of Additional Secretary to the Government of India, or any other post under the Central or State Government carrying the scale of pay which is not less than that of Additional Secretary to the Government of India at least for a period of two years:

Provided that the officers belonging to the All-India services who were or are on Central deputation to a lower post shall be deemed to have held the post of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, from the date such officers were granted proforma promotion or actual promotion whichever is earlier to the level of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, and the period spent on Central deputation after such date shall count for qualifying service for the purpose of this clause.

- (c) Secretary to the Government of India, (Department of Personnel and Training)- member;
- (d) Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice -member;
- (e) one expert, to be nominated by the Government of India member.

6.	Railway	C	laims
	Tribunal	under	the
	Railway	C	laims
	Tribunal	Act,	1987
	(54 of 198	87)	

- (1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman, unless he, –
- (a) is, or has been, or is qualified to be a Judge of a High Court: or
- (b) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairman, Judicial Member or Technical Member, as the case may be; or
- (c) is a person of ability, integrity and standing, and having a special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in claims and commercial matters relating to railways.
- (2) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Judicial), unless he, –
- (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or
- (b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade I of that Service or any higher post for at least five years; or
- (c) has, for at least five years, held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India: or
- (d) has, for a period of not less than three years, held office as a Judicial Member.
- (3) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Technical), unless he, –
- (a) has, for a period of not less than three years, held office as a Technical Member:
- (b) has, for at least five years, held a post under a railway administration carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India and has adequate knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways.

- (A) Selection Committee consisting for the post of the Chairman, Vice-Chairman (Judicial) or Member (Judicial): -
- (i) Chief Justice of India or his nominee- chairperson;
- (ii) Chairman or Member (Traffic) of the Railway Board-member;
- (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member:
- (iv) two experts who should have knowledge and experience of Claims and Commercial matters pertaining to Railways to be nominated by the Central Government-members.
- (B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Vice-Chairman (Technical) or Member (Technical),-
- (i) a person to be nominated by the Central Governmentchairperson;
- (ii) Chairman or Member (Traffic) of the Railway Board-member:
- (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member:
- (iv) two experts with knowledge and experience of Claims and Commercial matters relating to Railways to be nominated by the Central Government

- members.

Three Chairman-Years Sixty-seven years

Vice-Chairman-Sixty-five years

Member – Sixty-two years

	n G-0 5(1)		OKTOR(*)		33
		(4) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless he, –			
		(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court;			
		(b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India.			
		(5) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways of not less than twenty years.			
7.	Securities Appellate Tribunal under the Securities Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)	(1) A person shall not be qualified for appointment as the Presiding Officer or a Judicial Member or a Technical Member of the Securities Appellate Tribunal, unless he, —	(A) The Presiding Officer and Judicial Member of the Tribunal shall be appointed by the Central Government in consultation with the Chief Justice of India or his nominee.	Three Years	Presiding Officer – Seventy years Member – Sixty-seven
		(a) in the case of the Presiding Officer. is, or has been, a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court or a Judge of a High Court for at least seven years;	(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Technical Member. – (i) Presiding Officer, Securities Appellate Tribunal– chairperson:		years
		(b) in the case of a Judicial Member, is, or has been, a Judge of a High Court for at least five years; or	(ii) Secretary to the Government of India (Department of Economic Affairs) – member;		
		(c) in the case of a Technical Member, — (i) is, or has been, an	(iii) Secretary to the Government of India, (Department of Financial		
		Additional Secretary or Secretary in the Ministry or Department of the Central Government or any equivalent post in the Central Government or a State Government; or	Services) - member; and (iv) Secretary to the Government of India, in the Legislative Department or Department of Legal Affairs -member.		
		(ii) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than fifteen years, in financial sectors including securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance.			
		(2) A Member or Part time Member of the Board or the Insurance Regulatory and			

34		THE GAZETTE OF INDIA	: EXTRAORDINARY	[PART I	I—SEC. 3(i)]
		Development Authority or the Pension Fund Regulatory and Development Authority, or any person at senior management level equivalent to Executive Director in the Board or in such Authorities, shall not be appointed as Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal, during his service or tenure as such with the Board or with such Authorities, as the case may be, or within two years from the date on which he ceases to hold office as such in the Board or in such Authorities.			
		(3) The Presiding Officer or Member of the Securities Appellate tribunal shall be a person who does not have any financial or other interest as are likely to prejudicial affect their functions as such Presiding Officer or Member.			
8.	Debts Recovery Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993)	A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, unless he,— (a) is, or has been, or is qualified to be, a District Judge; or (b) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, banking, debt recovery or any other matter, which in the opinion of the Central Government is useful to the Debt Recovery Tribunal.	Search-cum-Selection Committee for the post of Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal,— (i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson: (ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)- member; (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice- member: (iv) Governor of the Reserve Bank or the Deputy Governor of the Reserve Bank of India nominated by the Governor of the Reserve Bank of India	Three Years	Presiding Officer – Sixty-five years
9.	Debts Recovery Appellate Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial	A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he, —	Search-cum-Selection Committee for the Chair- person of the Debts Recovery Appellate Tribunal,—	Three Years	Chairperson- Seventy years

L 71	ग ।।—खण्ड ३(१)]	नारा का राजान . उ			
10	Institutions Act, 1993 (51 of 1993) Airport Appellate Tribunal under the Airport Authority of India Act, 1994(55 of 1994)	(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or (b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade I of that service; or (c) has held office as the Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal for at least three years. A person shall not be eligible for appointment as Chairperson, unless he,— (a) is, or has been, or is qualified to be, a judge of a High Court; or (b) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management industry, public affairs, administration or any other maniter which in the opinion of the Central Government, is useful to the Appellate Tribunal.	(i) Chief Justice of India or his nominee- chairperson: (ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)— member; (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice-member: (iv) Governor of the Reserve Bank or the Deputy Governor of the Reserve Bank of India nominated by the Governor of the Reserve Bank of India nominated by the Governor of the Government of India or Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services)-member. Search-cum-Selection Committee for the post of Chairperson of Airport Appellate Tribunal,— (i) a person to be nominated by the Central Government-chairperson; (ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Civil Aviation- member; (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member; (iv) two experts, to be nominated by the Central Government-members.	Three Years	Chairperso n-Sixty-two years
1	Settlement and Appellate Tribunal under the Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997)	(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he,— (a) is, or has been, or is qualified to be a Judge of	(ii) Secretary to the Government of India, (Department of Telecommunications) - member; (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government - member;	Three Years	Chairperson- Seventy years Member – Sixty-five years

		THE GAZETTE OF INDIA	THE TOTAL TO	[LAK1]	I—SEC. 3(i)]
		not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which in opinion of the Central Government is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal. (2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which in opinion of the Central Government is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.	nominated by the Central Government – members.		
12.	Appellate Board under the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999)	(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of High Court; or (b) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairperson of the Appellate Board. (2) A person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman, unless he,— (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of High Court; or (b) has, for at least two years, held the office of Judicial Member, and has a degree in law with at least 12 years of practice at bar or 12 years' experience in a State Judicial Service. (3) A person shall not be qualified for appointment as	(A) Search-cum-Selection for the post of the Chairman, Vice-Chairman or Judicial Member of the Appellate Board, - (i) Chief Justice of India or his nominee- chairperson; (ii) Secretary to the Government of India, (Department of Industrial Policy and Promotion) - member; (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member; (iv) two experts, to be nominated by the Central Government-members. (B) Search-cum-Selection Committee for the post of Technical Member (Trade mark), Technical Member (Patent) and Technical Member (Patent) and Technical Member (Copyright) of the Appellate Board,— (i) a person to be nominated by the Central Government -	Three Years	Chairman-Sixty-seven years Vice-Chairman - Sixty-five years Member - Sixty-five years

Judicial Member, unless he, -

- (a) is, or has been, or is qualified to be a Judge of High Court; or
- (b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India.
- (4) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member (Trademark), unless he,—
- (a) has, for at least ten years, exercised functions of a tribunal under the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) and has held a post not lower than the post of Joint Registrar for at least five years and has a degree in law with at least twelve years of practice at bar or twelve years' experience in a State Judicial Service, or
- (b) has, for at least ten years, been an advocate of a proven specialized experience in trade mark law.
- (5) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member (Patent), unless he, -
- (a) has, for at least five years, held the post or exercised the functions of the Controller under the Patents Act, 1970 (39 of 1970); or
- (b) has, for at least ten years, functioned as a registered patent agent and possesses a degree in engineering or technology or a master's degree in science from any University established under law for the time being in force.
- (6) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member (Copyright), unless he, –
- (a) is, or has been a member of the Indian Legal Service and is holding, or has held a post in Grade I of that Service for at least three years; or
- (b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India; or
- (c) is, or has been a member of a Tribunal or Civil Service not

chairperson;

- (ii) Secretary to the Government of India, (Department of Industrial Promotion and Policy) -member;
- (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government - member;
- (iv) two experts, to be nominated by the Central Government - members.

38		THE GAZETTE OF INDIA	. EXTRAORDINART	[LVK1 II	—SEC. 3(i)]
		below the rank of a Joint Secretary to the Government of India with three years' experience in the field of Copyright; or (d) has, for at least ten years, been an advocate of a proven			
		specialized experience in Copyright Law: Provided that at least one member of the Appellate Board for purposes of the			
		Copyright Act shall have qualification as in (a), (b) or (d) above.	(A) The Christian of the	There	Chair
13.	National Company Law Appellate Tribunal under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).	(1) The Chairperson shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court.	(A) The Chairperson of the Appellate Tribunal shall be appointed after consultation with the Chief Justice of India.	Three Years	Chair- Person- Seventy years
		(2) A Judicial Member shall be a person who is or has been a Judge of a High Court or is a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years.	(B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Judicial Member and Technical Member of the Appellate Tribunal, - (i) Chief Justice of India or		Member – Sixty- seven years
		(3) A Technical Member shall be a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment,	his nominee -chairperson; (ii) a senior Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Courtmember; (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Corporate Affairs- member;		
		accountancy or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the National Company Law Appellate Tribunal.	(iv)Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice- member.		
14.	Authority for Advance Ruling under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)	A person shall be qualified for appointment as.— (a) Chairman. who:— (i) is. or has been, or is qualified to be, a Judge of the Supreme Court; or (ii) is or has been a Chief Justice of a High Court; or	(A) Search-cum Selection Committee for the post of Chairman and Vice- Chairman, - (i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India - chairperson;	Three Years	Chairman- Seventy years Vice- Chairman- Sixty-five years
		(iii) has, for at least seven years, been a Judge of a High Court: or (iv) has, for at least three years, been a Vice-Chairman, Revenue Member or Law Member of the Authority for Advance Ruling: or	(ii) Secretary to the Government of India (Department of Revenue)member; (iii) Secretary to the Government of India (Department of Legal Affairs) member;	,	Sixty-two years.

311.1	11-0.2 2(1)]				
		(v) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, taxation or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Authority. (b) Vice-chairman, who is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; (c) Revenue Member from the Indian Revenue Service who is qualified to be a Member of the Central Board of Direct Taxes Board and an officer of the Indian Customs and Central Excise Service, who is qualified to be a Member of the Central Board of Excise and Customs; (d) Law Member from the Indian Legal Service, who is an Additional Secretary to the	(iv) Secretary to the Government of India (Department of Personnel and Training) -member. (B) Search-cum-Selection Committee for the post of Member, - (i) Cabinet Secretary - chairperson; (ii) Secretary to the Government of India. (Department of Personnel and Training) - member; (iii) Secretary to the Government of India. (Department of Revenue) - member; (iv) two Secretaries to the Government of India to be nominated by the Central Government - members.		
15.	Film Certification Appellate Tribunal under the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952)	Government of India. (1) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he, - (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or (b) has, for a period of not less than three years, held office as member; or (c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in, law, management, industry, public affairs, administration, films or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the Appellate Tribunal. (2) The Central Government may appoint such persons who, in its opinion, or qualified to judge the effect of films on the public, to be a member of the Appellate Tribunal.	chairperson; (ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Information and Broadcasting-member; (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member; (iv) two experts to be nominated by the Central Government-members.	Three Years	Chairman - Sixty-sever years Member - Sixty-five years

-					
16.	National Consumer Disputes Redressal Commission under the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)	(1) A person shall not be qualified for appointment as President, unless he, — (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of the Supreme Court; or (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court; or (c) has, for a period not less than three years, held office of Member or Judicial Member; or (d) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission. (2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission: Provided that a person shall not be appointed as a Judicial Member, unless he, — (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; (b) has, for at least ten years, held a Judicial office in the territory of India. (1) A person shall not be	(A) The President shall be appointed by the Central Government after consultation with the Chief Justice of India. (B) Search-cum-Selection Committee for the post of member, — (i) a person who is a Judge of the Supreme Court, to be nominated by the Chief Justice of India -chairperson; (ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) - member; (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Consumer Affairs — member; (iv) two experts to be nominated by the Central Government - members.	Three Years	President – Seventy years Member-Seventy years Chairperson-
1/.	Electricity under the Electricity Act. 2003 (36 of 2003).	qualified for appointment as Chairperson of the Appellate Tribunal, unless he, —	(A) Search-cum-Selection Committee for the post of Chairperson and Judicial Member of the Appellate	Years	Seventy years

	(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of Supreme Court; or (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court; or (c) has, for a period of not less than three years, held office of Judicial Member, or Technical member; or (d) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of. and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to Appellate Tribunal. (2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member, unless, he— (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or (b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India. (3) A person shall not be qualified for appointment as	Tribunal,— (i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson; (ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Power- member; (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government- member; (iv) two experts, to be nominated by the Central Government-members. (B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Technical Member of the Appellate Tribunal.— (i) a person to be nominated by the Central Government-chairperson; (ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Power- member; (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government- member; (iv) two experts to be nominated by the Central Government- member;		Member- Sixty-five years
	office in the territory of India. (3) A person shall not be	I to the second		
18. Armed Force Tribunal under the Armed Forces Act, 2007 (55 of 2007)	(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless, he, - (a) is, or has been, or is qualified to be a Judge of Supreme Court or,	(A) The Chairperson of the Armed Forces Tribunal shall be appointed by the Central Government in consultation with Chief Justice of India.	Three Years	Chairperson- Seventy years Member- Sixty-five years

=		THE GAZETTE OF INDI-		[PART	II—SEC. 3(i)]
		(b) is or has been a Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he is, or has been, a Judge of a High Court. (3) A person shall not be qualified for appointment as Administrative Member, unless he, - (a) he has held or he has been holding the rank of Major General or above for a total period of at least three years in the Army or equivalent rank in the Navy or the Air Force; or (b) he has served for not less than one year as Judge Advocate General in the Army or the Navy or the Air Force, and is not below the rank of Major General, Commodore and Air Commodore respectively; or (c) he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the Armed Forces Tribunal.	Committee for the post of Vice- Chairperson, Judicial Member, or Administrative Member of Armed Forces Tribunal, - (i) a sitting Judge of Supreme Court to be nominated by Chief Justice of India or Chairman, Law Commission		
19.	National Green Tribunal under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010)	Judicial Member or Expert Member; or (d) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in law including five years'	(A) Search-cum-Selection Committee for the post of the Chairperson or Judicial Member of the National Green Tribunal, — (i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson; (ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change- member; (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member; (iv) two experts, to be nominated by the Central Government-members.	Three Years	Chairperson- Seventy years Member- Sixty-seven years

[HI4 II - @as 3(1)]	मारत का राजक .	-1311-113-1	
	field of environment and forests. (2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member, unless he, — (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or (b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India. (3) A person shall not be qualified for appointment as Expert Member, unless he, — (a) has a degree/ Post-graduation degree/ Doctorate Degree in Science and has an experience of twenty years in the relevant field including five years' practical experience in the field of environment and forests (including pollution control, hazardous substance management, environment impact assessment, climate change management, environment interest conservation) in a reputed National level institution; or (b) has administrative experience of twenty years in dealing with environmental matters in the Central Government or a State Government or in a reputed National or State level institution.	(B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Expert Member of the National Green Tribunal, — (i) a person to be nominated by the Central Government -chairperson: (ii) Secretary to the govern- ment of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change -member; (iii) Secretary to the Govern- ment of India to be nominated by the Central Government -member; (iv) two experts, to be nominated by the Central Govern- ment -members.	

[F. No. A.50050/9/2016-CESTAT Pt-1] UDAI SINGH KUMAWAT, Jt. Secy.

CHECK-LIST OF DOCUMENTS TO BE SENT WITH THE APPLICATION

Name of the Officer:	
----------------------	--

SI.	Document	Status of
No.		enclosure of
17.007.0 00 0000		document
		Y – Yes
		N - No
		NA – Not
		Applicable
1	Copies of Annual Confidential Reports/Performance	
	Appraisal Reports of the officer during the last five years	
2	Vigilance clearance (if applicable) of the officer	
3	Integrity certificate of the officer	
4	Annexure-III	
	(Proforma for Bio-Data of the Officer)	
5	Annexure-IV	
	(Proforma for ACR/APAR Grading for the last five years of the Officer)	

(Sign and Seal of the Registrar General)

Proforma for Bio-data

(to be filled by the judicial officer concerned)

1.	Name (in Full)			
2.	Date of Birth			
3.	Education	al Qu	alification	
4.	Particulars of Service in brief with dates of each appointment held from the level of Additional District Judge or equivalent post (In Chronological Order) (Note: Experience with regard to Labour matters may be specifically mentioned)			
5.			e of the last/current post e of appointment to current post e of retirement e of pay	
6.	Address fo	or con	nmunication	
7.	7. Phone no. (Office) (Residential) (Mobile)			
8.	E-mail add	dress		
D	ate:	Date:		Signature:

Name:

Place:

Proforma for abstract of ACR Gradings for the last five years of each judicial officer to be considered for the post of Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bangalore.

Name of the Officer:

SI. No.	Year/Period	Details of Reporting Authority & Grading	Details of Reviewing Authority & Grading	Details of Accepting Authority & Grading
1				
2				
3				
4				
5				

(Sign and Seal of the Registrar General)